Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सवाईमाधोपुर में राष्ट्रीय चम्बल वन्यजीव अभयारण्य के उप वन संरक्षक (डी.सी.एफ.) को 3 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *18 मार्च।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर मुख्यालय एस.आई.डब्ल्यू. इकाई द्वारा द्वारा आज गुरूवार को सवाईमाधोपुर में कार्यवाही करते हुये राष्ट्रीय चम्बल वन्यजीव अभयारण्य के उप वन संरक्षक (डी.सी.एफ.) फुरकान अली खत्री (आर.एफ.एस.) को 3 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि मुख्यालय की एस.आई.डब्ल्यू. ईकाई को परिवादी ने शिकायत दी कि "विभिन्न विकास कार्यों के बकाया भुगतान में कमीशन की एवज में फुरकान अली खत्री उप वन संरक्षक (डी.सी.एफ.) राष्ट्रीय चम्बल वन्यजीव अभयारण्य, सवाईमाधोपुर द्वारा 3 लाख रुपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की एस.आई.डब्ल्यू. ईकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजीव नैन** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के द्वारा सवाईमाधोपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये **फुरकान अली खत्री** पुत्र श्री अब्दुल रहमान निवासी आमीन पठान के मकान के पास, अनन्तपुरा, कोटा हाल **उप वन संरक्षक (डी.सी.एफ.) राष्ट्रीय चम्बल वन्यजीव अभयारण्य, सवाईमाधोपुर** को परिवादी से 3 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में **आरोपी के सवाईमाधोपुर एवं कोटा स्थित आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है।** एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।